हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी
Board of School Education Haryana, Bhiwani
(Established Under Haryana Board of Education Act, 1969)

प्रैस नोट

No. BSEH/SRS/2025 Date:- 09-10-2025

Notification No. 61

9वीं एवं 11वीं कक्षा के जिन विद्यालयों द्वारा किसी भी छात्र के अंक अपलोड नहीं किए गए और न ही बोर्ड कार्यालय द्वारा उपलब्ध करवाए गए पोर्टल पर RLE हटाए गए, उनके अंक अपलोड करने की अन्तिम तिथि 5000/–रू0 जुर्माना सहित दिनांक 15.07.2025 निर्धारित थी।

जिन विद्यालयों द्वारा 9वीं एवं 11वीं कक्षा के किसी भी छात्र के अंक अपलोड नहीं किए गए है ऐसे विद्यालय मूल रिकॉर्ड (दाखिला खारिज रजिस्टर, हाजिरी रजिस्टर, संबंधित रिजल्ट रजिस्टर, एनरोलमैंट सूची/रजिस्ट्रेशन सूची) सहित बोर्ड कार्यालय की सम्बन्धित परीक्षा शाखाओं में उपस्थित होकर दिनांक 31.10.2025 तक 5000/रू0 जुर्माना सहित ऑफलाईन अंक अपलोड करवा सकते हैं एवं जिन विद्यालयों द्वारा अपलोड किए गए अंको में किसी प्रकार की शुद्वि करवाई जानी है तो 300/–रू0 शुद्वि शुल्क सहित शुद्वि करवा सकते है।

अतः संबंधित प्रधानाचार्य/मुख्याध्यापक समय रहते अपने विद्यालय के संबंधित परीक्षार्थियों के अंक अपलोड करवाना सुनिश्चित करें।

सचिव